

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 10 / 2023 / 2905

आदेश

दिनांक : 28 / 05 / 2024

इस न्यायक्षेत्र में आशुलिपिक संवर्ग से सेवानिवृत्त श्री वीरेन्द्र कुमार जैन, स्टेनो ग्रेड-1 का दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 27 वर्षीय तृतीय एसीपी में वेतनस्थिरीकरण किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 दिनांकित 06.10.2023 एवं राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.8(24)न्याय/2023 दिनांक 05.03.2024 व इस क्रम में श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक जी/आई/ए-4(i)(a)/150/2023/295 दिनांकित 20.03.2024 के अनुसरण में उनके नाम के आगे अंकित दिनांक को MACP (संशोधित आश्वासित कैरियर) में कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक 01.04.2023 से एतद्वारा निम्नानुसार तालिका में संशोधित वेतन स्थिरीकरण किया जाता है, जिनकी आगामी वेतन वृद्धि उनके नाम के आगे अंकित दिनांक के अनुसार रहेगी :-

क.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	पूर्व में 27 वर्षीय तृतीय एसीपी की स्वीकृति दिनांक व उक्त एसीपी में निर्धारित किया गया मूलवेतन	दिनांक 01.04.2023 को प्राप्त मूल वेतन एवं पे-लेवल	MACP में दिनांक 01.04.2023 को संशोधित मूल वेतन एवं पे-लेवल	आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक
01	02	03	04	05	06
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार जैन सेवानिवृत्त स्टेनो ग्रेड-1 विशिष्ट न्यायाधीश जयपुर बम ब्लास्ट केसेज, जयपुर महानगर-11 प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.12.1985 स्टेनो ग्रेड-1111	11.12.2012 24570 / - (G.P-4800)	87700 / - (L-13)	90000 / - (L-14)	01.07.2023

01. कर्मचारी को उपरोक्त तालिका में कॉलम संख्या 05 में किये गये वेतनस्थिरीकरण अनुसार समस्त वित्तीय लाभ दिनांक 01.04.2023 से नगद देय होंगे।
02. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय

दिनांक : 28 / 05 / 2024

क्रमांक : स्था0 / 10 / 2023 / 2906

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश जयपुर बम ब्लास्ट केसेज, जयपुर महानगर-द्वितीय(संलग्न सेवापुस्तिका) को प्रति भेजकर लेख है कि कर्मचारी की संशोधित पेंशन स्वीकृति के क्रम में भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करवायें।
04. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
05. संबंधित कर्मचारी
06. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली ।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय

28/5/24